

M.P. Dixit
Advocate
PATNA HIGH COURT
&
Central Administrative Tribunal

Residence:
Sri Ram Kunj,
Ram Nagri Sector-2,
Ashiyana, Patna-25
Mob.-9431011430, 9234762222

Ref.. RTI/Patna...

Date ..14.10.2015

सेवा में

श्री वी० श्रीकुमार

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अवर सचिव, (आरटीआई),

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,

आर टी आई सेल, नई दिल्ली - 110001

विषय : मेरे द्वारा प्रेषित एवं प्राप्त सूचना के आवेदन पर श्रीमान् को यह सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार था कि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में समस्त आवेदन या आवेदन के ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस लोक प्राधिकारी को अंतरित किया जाए, जहाँ सूचना धारित हो। श्रीमान् ने अंतरण पत्र दिनांक 28.08.2015 में बिन्दुवार कोई विवरण न देकर, यह उल्लेखित किया है कि "प्रतिलिपि :- श्री एम. पी. दीक्षित, अधिवक्ता, श्री राम कुंज, संक्टर - 2, राम नगरी, पटना - 800025 कृपया आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।" यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगी गई सम्पूर्ण सूचना का सम्बन्ध केवल केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक आयकर (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली से सम्बन्धित है। अन्य लोक प्राधिकारी से नहीं। फिर मेरे द्वारा मांगी गई सूचना के आवेदन को किस उद्देश्य से श्री कर्ण सिंह चौहान, आयकर अधिकारी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रधान आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली के द्वारा कलकत्ता और भोपाल को समस्त आवेदन को अंतरित कर, यह उल्लेखित किया है कि "प्रतिलिपि :- श्री एम. पी. दीक्षित, अधिवक्ता, श्री राम कुंज, संक्टर - 2, राम नगरी, पटना - 25 कृपया आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।" तदपश्चात् भोपाल के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने मेरे प्राप्त आवेदन के समस्त बिन्दुओं को दिनांक 28.09.2015 के अंतरण पत्र द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पटना और राँची को प्रेषित किया है, इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का उलंघन करते हुए, मुझे गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, के सम्बन्ध में।




श्री श्रीमान्
के.सि.सि.
19/10

संदर्भ : 1. पत्र सं. 50/2/15/177834/आरटीआई सेल, नई दिल्ली दिनांक 28.08.2015

2. Dy. No. 4676 दिनांक 10.09.2015

3. Dy. No. 4677 दिनांक 10.09.2015

4. F.No. : Pr. CCIT/MP & CG/RTI/61/12/2015-16/3115 Bhopal, 28th September, 2015



महाशय,

निवेदन यह है कि मेरे सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 20.08.2015 को प्रेषित अभ्यावेदन का अवलोकन करने के पश्चात् अन्य लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिन्दुवार उल्लेखित न कर समस्त मांगी गई सूचना को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक आयकर (एच0 आर0 डी0), नई दिल्ली को अतिरिक्त किया गया है। जबकि बिन्दु संख्या 2,3,6 और 7 श्रीमान् के कार्यालय से सम्बन्धित है। अंतरण पत्र दिनांक 28.08.2015 में यह उल्लेखित करते हुए मुझे गुमराह किया जा रहा है कि "प्रतिलिपि :- श्री एम. पी. दीक्षित, अधिवक्ता, श्री राम कुंज, सेक्टर - 2, राम नगरी, पटना - 25 कृपया आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।" यह कथन मुझे भ्रमित एवं गुमराह करने के लिए किया गया है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विरुद्ध है। श्रीमान् के ऐसे कार्य को देखते हुए अवलोकन के पश्चात् श्री कर्ण सिंह चौहान, आयकर अधिकारी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रधान आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली ने मांगी गई सूचना के अभ्यावेदन को सूचना उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मुख्य आयकर आयुक्त, कलकत्ता - 1 और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मुख्य आयकर आयुक्त (CCA), भोपाल को अतिरिक्त कर मुझे सूचित किया है कि कृपया आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। श्रीमान् मुझे यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि मेरे सूचना के अभ्यावेदन का अवलोकन के पश्चात् कलकत्ता, भोपाल, पटना और राँची के आयकर कार्यालय में अभ्यावेदन को अतिरिक्त नहीं करना चाहिए था, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के नियमाकुल है। श्रीमान् के कृत कार्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे अभ्यावेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का कोई अंश/भाग आपके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। इसकी विस्तृत जानकारी के साथ, इसकी पुष्टि करने की कृपा की जाए।

पत्राचार का पता :

एम0 पी0 दीक्षित, अधिवक्ता

श्री राम कुंज, सेक्टर - 2, राम नगरी,

पटना - 800025

प्रतिलिपि प्रेषित : उचित कार्रवाई एवं सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

✓ माननीय प्रथम अपीलीय प्राधिकार, कार्यालय सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आर टी आई सेल, नई दिल्ली - 110001

Em P D
(एम0 पी0 दीक्षित) 14/10/15